न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,लुनी, जिला जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी – श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या 144/2012

वादीगण : –

1. खेताराम पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. ओमाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. गंगाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
4. कुम्भाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण : –

1. रूपाराम पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. लालाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. अणदाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. अणची देवी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. गोपाराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. धूडी देवी पत्नी बिड़दाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
7. तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।
8. मोहम्मद इमरान बेलिम पुत्र श्री मोहम्मद सलीम बेलिम जाति मुसलमान निवासी मकान नंबर 3 शान्तिप्रिय नगर जोधपुर।

वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता रोषनलाल, भागीरथ विष्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता अषोक चौधरी।
3. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता राजाराम चौधरी।

दिनांक : – 15-4-2026

– :: आदेष :: –

1. वादीगण द्वारा एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेष किया है जिसका संक्षित विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण की सह खातेदारी की पैतृक कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम तनावडा, तहसील लूणी के खसरा नम्बर 48 मूल रकबा 98 बीघा 06 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 48 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 228/48

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा आई हुई है। वादीगण का उपरोक्त भूमि में आधे हिस्से यानि खसरा नम्बर 48 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा वादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसे विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। मूल खसरा नम्बर 48 रकबा 98 बीघा 06 बिस्वा पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज थी। वक्त सेटलमेन्ट से ही खसरा नम्बर 48 की खातेदारी स्व. चौथाराम जी के चारों पुत्रों के नाम से दर्ज थी तथा उसी अनुसार मूल खसरा नम्बर 48 में चारों भाईयों का 1/4 हिस्सा बराबर-बराबर खातेदारी में दर्ज था। वादी संख्या 1 को गलत रूप से नाबालिग बताते हुए तथा वादी संख्या 2 से 4 के पिता नारायणराम जो कि जोधपुर शहर से बाहर नौकरी करते थे कि अनुपस्थिति में दोनों भाई रूपाराम व बिड़दाराम द्वारा वादीगण की भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकार के ही सम्पूर्ण खसरा नम्बर 48 की भूमि को दिनांक 14.06.1967 को मुकन्दराज पुत्र जुगराज जी को बेचान कर दिया तथा बेचाननामें में बिड़दाराम व रूपाराम द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये, जबकि वादी संख्या 1 व नारायणराम द्वारा न तो बेचाननामें के लिये सहमति दी गई थी तथा न ही बेचाननामें पर हस्ताक्षर किये गये थे, इसलिये प्रतिवादी रूपाराम व बिड़दाराम को मूल खसरा नम्बर 48 में वादीगण के आधे हिस्से यानि 49 बीघा 03 बिस्वा भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं था तथा हिस्से से अधिक किया गया बेचान वादीगण के हकों व हकूकों के विरूद्ध निष्प्रभावी व शुरू से ही शून्य है। प्रतिवादी रूपाराम व अपने पुत्रों द्वारा बेचान दिनांक 14.06.1967 को निष्पादित किये जाने के पश्चात् दिनांक 13.05.1987 को सुकनराज पुत्र जुगराज से वर्तमान खसरा नम्बर 48 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा की भूमि का पुनः खरीद कर रूपाराम व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा बाबूराम के नाम से नामान्तरकरण संख्या 247 ग्राम पंचायत मोगडा कलां से स्वीकृत करवा लिया गया। वादीगण वर्तमान खसरा नम्बर 48 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा के वक्त सेटलमेन्ट से ही सह खातेदार चले आ रहे है तथा आज भी खसरा नम्बर 48 पर वादीगण का कब्जा काश्त है, जिसमें उनकी रहवास हेतु कच्ची ढाणी बनी हुई है तथा मौके पर तारबन्दी की हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक हिस्से की मूल खसरा नम्बर 48 में से आधे हिस्से का बेचान किये जाने के कारण वर्तमान खसरा नम्बर 48 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा में किसी भी तरह का अधिकार व हक नहीं रह जाता है तथा वादीगण के खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड व बेचाननामों की नकले प्राप्त करने पर वादीगण के हकों के विरुद्ध किये गये बेचाननामें व वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जानकारी हुई। वाद कारण दिनाक 17.08.2012 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादीगण ने वादीगण को विवादित भूमि का बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकी दी तथा कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी, तब उत्पन्न हुआ, जो लगातार जारी है। अतः वादीगण द्वारा वाद पेष कर वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 48 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. वाद को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किया गया। जिनकी तामिली नियमानुसार प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सुराणा तथा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता राजाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेष किया किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली में प्रतिवादीगण को अनेक अवसर देने के उपरान्त भी वादीगण के वाद का जवाब पेष नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जी जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी के शपथपत्र पेष करने हेतु नियत की गई।

3. वादीगण की तरफ से वादी संख्या 3 व 4 कमष कुंभाराम व गंगाराम द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र पेष किया जो शामिल मिसल है। वादीगण ने अपने शपथ पत्र में कथन किया कि वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 से 4 के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि का कभी भी बेचान नहीं किया गया। आज भी मौके पर वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज है। इस कारण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
~ लूणी

वादीगण को वर्तमान खसरा नम्बर 48 रकी 49 बीघा 3 बिस्वा का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर घोषणा की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध फरमाई जावें।

4. अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। वादिनी द्वारा बहस में वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को दोहराते हुए अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 49 बीघा 03 बिस्वा में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा राजस्व रैकर्ड से प्रतिवादी का नाम हटाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। वादीगण द्वारा पत्रावली में उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों का अवलोकन करने पर बेचाननामा दिनांक 14.06.67 बिरदाराम बहक सुकनराज के निरीक्षण से स्पष्ट है कि रूपाराम व बिडदाराम द्वारा वादी संख्या 1 तथा वादी संख्या 2 से 4 के पिता की सहखातेदारी की सम्पूर्ण खसरा नम्बर 48 की भूमि को दिनांक 14.06.1967 को मुकन्दराज पुत्र जुगराज को बेचान किया जबकि उक्त बेचाननामे का निष्पादन सिर्फ दो खातेदारों बिडदाराम व रूपाराम द्वारा ही किया गया साथ ही विवादग्रस्त भूमि के अन्य खातेदार वादी संख्या 2 से 4 के पिता नारायणराम को अनुपस्थित तथा वादी संख्या 1 को नाबालिग बताया गया। इस प्रकार रूपाराम व बिडदाराम द्वारा पैतृक भूमि का अपने हिस्से से अधिक बेचान होना प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण को अनेक अवसर देने के उपरान्त भी वाद का जवाब पेष नहीं किया, न ही बहस की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 के विरूद्ध. एकपक्षीय कार्यवाही अमल ली जाती है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद पूर्ण रूप से स्वीकार किये जाने व डिक्री किये जाने योग्य है।

5. अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तनावडा, तहसील लूणी के मूल खसरा नम्बर 48 मूल रकबा 98 बीघा 06 बिस्वा में सें 49 बीघा 03 बिस्वा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार लूणी को आदेष की पालना बाबत् तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो।

(हंसमुख कुमार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

6. निर्णय आज दिनांक 15-4-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुनी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी : हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 144/2012

वादीगण : –

1. खेताराम पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. ओमाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. गंगाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
4. कुम्भाराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

ब ना म

प्रतिवादीगण : –

1. रूपाराम पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. लालाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
3. अणदाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर
4. अणची देवी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
5. गोपाराम पुत्र बिड़दाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
6. धूडी देवी पत्नी बिड़दाराम जाति जाट निवासी ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।
7. मोहम्मद इमरान बेलिम पुत्र श्री मोहम्मद सलीम बेलिम जाति मुसलमान निवासी मकान नंबर 3 शान्तिप्रिय नगर जोधपुर।
8. तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 144/2012 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि –

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तनावडा, तहसील लूणी के मूल खसरा नम्बर 48 मूल रकबा 98 बीघा 06 बिस्वा में से 49 बीघा 03 बिस्वा में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

नीज................मुबलिक................बाबत................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह................फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक................ ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 15-4-2026 को जारी की गई।

(हंसमुख कुमार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प	–	–
वकालतनामा	–		वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मीजाचन			मुतफर्रिक मीजाचन		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी